I/53313/2023

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय,चंडीगढ़ / **Regional Office, Chandigarh**

F.No.:- 9-HRB021/2023-CHA **दिनांक: September, 2023**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ।
(fcforest@hry.nic.in)

विषय: **Diversion of 0.02383 ha. of Forest land for Establishment of Retail Outlet (Petrol Pump) at proposed location at Khasra No. 138/1 l/2 in village-Haroli on Ratia-Sardulgarh Road (MDR-101) Block, Nagpur under Forest Division & District Fatehabad, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/142971/2021)**

संदर्भ: State Government’s Stage-I Compliance Letter No. क्रमांक FCA/e- 915855/1249 dated 08.08.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, **1980** की धारा- **2** के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है | इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **17.04.2023** द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक **(FCA)** व नोडल अधिकारी के पत्र क्रमांक FCA/e-915855/1249 दिनांक 09.08.**2023** **(**ऑनलाइन पोर्टल**)** द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **0.02383** हैक्टेयर वनभूमि के उपयोग हेतु विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है **-:**

i. वनभूमि की विधिक **परिस्थिति** बदली नहीं जाएगी |

ii. काटे जाने वाले वृक्षों/ पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों/ पौधों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा|

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वन भूमि ***Fatehabad Branch RD 160 to 161, L/R Side*** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा |

iv. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एसीए योजना के अनुसार degraded वन भूमि ***Fatehabad Branch RD 160 to 161, L/R Side*** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा |

बेजनं.24-25, सेक्टर-31 ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**TelNo :**0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

v. प्रतिपूर्ति पौधारोपण **और** अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए |

vi. **CEO, State CAMPA,** इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार **CA/ACA** वृक्षारोपण के लिए **DFO** को **CAMPA Scheme** के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित **करेंगे** |

vii. **DFO** अनुमोदित **CA/ACA Site** पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित **करेंगे** और **MoEF&CC** की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित **CA/ACA Site** को नहीं **बदलेंगे** |

viii. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकीकार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण **(CA) और** अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण (ACA) क्षेत्र की **KML** फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण **(FSI)** के **E-Green Watch** पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी |

ix. यह अनुमति **15** वर्षों के लिए वैध होगी**,** इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी |

x. वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

xi. जब कभी भी **NPV** की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई **NPV** की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

xii. Petrol Pump की पूरी परिधि **(Periphery)** पर दिवार से **1.5** मीटर जगह छोड़कर **1.0** से **1.5** मीटर के अन्तराल पर **Light crown** पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।

xiii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंहुच मार्ग **(Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration)**व विभाजक द्वीप **(Separator Island)** पर भी पौधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा |

xiv. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे |

xv. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसीअन्य एजेंसी**,** विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xvi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xvii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना केअनुसार किया जायेगा |

xviii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण**,** सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

बेजनं.**24-25, सेक्टर-31** ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**TelNo :**0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

I/53313/2023 **xix.** यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण **(**सुरक्षा**)** अधिनियम **1986,** के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी **|**

xx. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019, MoEF&CC.

xxi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी **|**

2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है।***राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी*** **|**

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी **किया जा रहा है|**

भवदीय

Signed by
Raja Ram Singh
Date: 16-09-2023 20:31:59

हस्ता/-
(राजा राम सिंह**)**
उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
MoEF&CC, RO, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण**,** वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग़, अलीगंज, नई दिल्ली। (ramesh.pandey@nic.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpanchkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA Haryana, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (haryanacampa@gmail.com)
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Fatehabad, Haryana. (dfo.ftbd-hry@nic.in)
6. Indian Oil Corporation Limited, Village Haroli, Distt. Fatehabad, Haryana- 125051. (iocharoli@gmail.com)

बेजनं.**24-25,** सेक्टर-**31** ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**TelNo :**0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in